भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY, BIHAR)
चौथा/छठा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय भवन, परिसर
शास्त्रीनगर, पटना–800023

ज्ञापांक–रेरा/सूचना/2022/171 पटना, दिनांक– 6.6.2022

आम सूचना

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार कोई भी प्रवर्त्तक (प्रमोटर) बगैर निबंधन कराये आठ आपार्टमेन्ट की संख्या से अधिक या 500 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल से अधिक की परियोजनाओं का विज्ञापन या बिक्री नहीं कर सकता है।

अधिनियम की धारा 59 (1) के अन्तर्गत रेरा बिहार को, ऐसे प्रर्वत्तकों के विरूद्ध जो धारा 3 का उल्लंघन कर रहे हैं, को भू–सम्पदा परियोजना की प्राक्कलित राशि का दस प्रतिशत तक दण्ड राशि अधिरोपित करने का अधिकार प्रदत्त है। साथ ही वैसे प्रवर्त्तक जो प्राधिकरण के इस तरह के आदेश/निदेश का अनुपालन नहीं करते हैं या धारा 3 का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं को अधिनियम की धारा 59 (2) के तहत तीन वर्षों के कारावास का दण्ड तथा परियोजना को प्राक्कलित राशि की दस प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड राशि अथवा दोनों अधिरोपित करने की शक्ति रेरा, बिहार को प्रदत्त है।

अतएव, एतद् द्वारा ऐसे सभी प्रवर्त्तकों को आगाह किया जाता है कि अगर वे उपरवर्णित भू–सम्पदा परियोजना का निर्माण रेरा बिहार, से निबंधन कराये बिना कर रहे हैं तो वे स्वतः परियोजना का रेरा बिहार की website “https:/rera.bihar.gov.in” पर जाकर तत्काल online आवेदन देकर निबंधन करायें। ऐसे प्रवर्त्तकों पर सहानुभूतिपूर्वक प्रावधानित दण्ड राशि सहानुभूतिपूर्वक अधिरोपित करते हुए उनकी परियोजना का नियमानुसार निबंधन किया जा सकेगा।

ऐसी परियोजनाएं जो रेरा, से निबंधन कराये बिना निर्माण कार्य जारी रखती हैं और रेरा बिहार के संज्ञान में ऐसी सूचना आती है, तो ऐसे प्रवर्त्तकों पर अधिनियम की धारा 59 (1) एवं 59 (2) में प्रदत शक्रियों के तहत रेरा बिहार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वैसे व्यक्ति जो रेरा, बिहार से गैर निबंधित परियोजनाओं में अपना अपार्टमेन्ट बुक करा रहे हैं एवं उसकी खरीद कर रहे हैं तो उनके हित में है कि वे ऐसी परियोजनाओं के निबंधन के लिए प्रवर्त्तक पर दबाव डालें एवं उनके द्वारा निबंधन की कारवाई नही किए जाने की स्थिति में रेरा बिहार के “website- https:/rera.bihar.gov.in” के “Report unregistered Project” में जाकर ऐसी परियोजना के बारे में सूचित करें।

6.6.22

सचिव
रेरा, बिहार